

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29997/2026**

अमन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : भरत सिंहविपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री भरत सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री इमरान खान को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 1066/2025, अंतर्गत धारा 103(1), 3(5), 109(1), 115(2), 131 एवं 351(3) बीएनएस, थाना-मझोला, जनपद-मुरादाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, तथापि, आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में में अन्य आरोपियों, जिनमें सह-आरोपी राजा भी शामिल है, के साथ नामजद किया गया है तथा 05.11.2025 को देर रात्रि 9:00 बजे दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वे अन्य लोगों के साथ सूचनाकर्ता के घर आए तथा दोनों के हाथों में देशी तमंचे थे तथा उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सूचनाकर्ता पक्ष पर हमला किया तथा उनके द्वारा की गई फायरिंग से सूचनाकर्ता के भाई नेकरपाल को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई किंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः झूठे बताए गए हैं।
4. इसके अतिरिक्त वह प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट 06.11.2025 को रात्रि 01:24 बजे दर्ज की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने से पहले ही सूचनाकर्ता गगन की सूचना पर मृतक का पंचनामा किया गया था जो पंचनामा पेपर-बुक के पृष्ठ 39 पर संलग्न है तथा पंचनामा के समय गगन स्वयं पंचनामा गवाह था, लेकिन उस समय तक उसने पुलिस अथवा किसी अन्य व्यक्ति को यह नहीं बताया था कि आवेदक एवं

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्य आरोपियों ने मृतक की हत्या की है तथा पंचनामा के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई एवं यह तथ्य स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनाकर्ता के द्वारा बताई गई कहानी मनगढ़ंत है।

5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, अभियोजन के अनुसार भी, आवेदक और सह-आरोपी राजा दोनों के पास देशी तमंचे थे और दोनों ने गोली चलाई, जबकि मृतक को केवल एक गोली लगी।

6. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, समान तथ्यों पर सह-आरोपी राजा को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और उसका जमानत आदेश पेपर-बुक के पृष्ठ 162 पर संलग्न है। आवेदक का मामला भी उसी के समान है।

7. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था किंतु गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस मुठभेड़ से संबंधित अंतर्गत धारा 109 बीएनएस के मामले तथा आर्म्स एक्ट के मामले में भी आरोपी बनाया गया। वह आगे प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान मामले में आवेदक 06.11.2025 से जेल में है।

8. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया किंतु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

10. तथापि, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चश्मदीद गवाहों के बयानों से यह प्रतीत होता है कि आवेदक एवं सह-आरोपी राजा प्रमुख आरोपी हैं, जिन्होंने गोली मारकर मृतक की हत्या की। हालांकि, एफआईआर के समय एवं तारीख, पंचनामा तथा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए प्रथम दृष्टया अभियोजन का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है।

11. इसके अतिरिक्त, मामले के संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद सह-आरोपी राजा को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और आवेदक का मामला भी उसके समान है।

12. इसके अतिरिक्त, यह परिलक्षित होता है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था, हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस मुठभेड़ से संबंधित धारा 109 बीएनएस तथा आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी बनाया गया।

13. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक 06.11.2025 से जेल में है।

14. अतः ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. आवेदक- **अमन** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों को बताने से विमुख हो अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर इन टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 25, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)